



7. उक्त उपविधि के तहत जारी की गयी हर अनुज्ञित निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्-
- (क) प्रायोक दुर्घटाला के फर्ज को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। (छ) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे-तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। (ग) डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञित अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। जिसका प्रमाण भी अनुज्ञित अधिकारी को निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उपकरण को दिया जाना अथवा बायोस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञित अधिकारी को किसी भी सकारात्मक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने सघ/राज्य पशुचिकित्सा परिषद से दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त अशाय का शपथ-पत्र भी अवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। (घ) अनुज्ञित अधिकारी को किसी भी सकारात्मक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने सघ/राज्य पशुचिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।
8. दुर्घटाला के सभी पशुओं को माइक्रोचिप लगाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की सतति का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।
9. किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़कों पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर ₹० 1000/- प्रतिपशु प्रतिदिन/ उत्तराखण्ड गौवंश सरकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
10. लेखाजोखा (स्किंडी) रखना- व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा :-  
(क) निर्धारित प्रणत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण। (ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण। (ग) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड का विवरण। (घ) कृमिसोधी दवापान का विवरण। (च) पशुओं का गर्भाधान/नरस्त का विवरण। (छ) पशुओं के क्रय-विक्रय का विवरण।
11. कोई भी डेरी स्वामी अनुज्ञित अधिकारी या किसी भी समय पर, डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।
12. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द की गयी अनुज्ञित के निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून अथवा उनके द्वारा प्राकृति के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण। (ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण। (ग) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड का विवरण। (घ) कृमिसोधी दवापान का विवरण। (च) पशुओं का गर्भाधान/नरस्त का विवरण। (छ) पशुओं के क्रय-विक्रय का विवरण।
13. यदि कोई पशु बेचा जाता है या भरता है या निस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम के पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा। यदि इस सब्द में कोई आपत्ति एवं सुझाव किसी व्यक्ति को देने हों तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर कार्यालय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून को उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली किसी भी अपत्ति एवं सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत उपविधि नगर निगम, देहरादून की वेबसाइट [nagarnigamdehardun.com](http://nagarnigamdehardun.com) एवं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में देखी जा सकती है।
- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

### कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक- ५८ (Y.A)

दिनांक १०/०६/२०२२

### गणराज्य सरकार

1. सम्यादक **गणराज्य सरकार** की इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **मिचीप्रिन्ट** प्रतिशत छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का काट करें। **देहरादून सरकार**
2. सम्यादक **गणराज्य सरकार** की इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **मिचीप्रिन्ट** प्रतिशत छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का काट करें। **देहरादून सरकार**
3. आईटी० अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना नगर निगम, देहरादून की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का काट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।

  
वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,  
नगर निगम, देहरादून।